



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 9678 / अका. / 2006

रायपुर, दिनांक : 17 / 11 / 2006

॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 12वीं बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2006 के पद क्रमांक-14 के अनुमोदन अनुसार - "Bachelor of Arts and Bachelor of Laws" पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक-126 के प्रथम पैरा में उल्लेखित - "This Course is a Five Years whole time Degree Course after 10+2 system. It will be started and run by the University in its Teaching Department under self financing scheme" के स्थान पर संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे -

"This Course is a Five Years whole time Degree Course after 10+2 system. It will be started and run by the University in its Teaching Department under self financing scheme and by all the affiliated colleges of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur".

आदेशानुसार,

उपकुलसचिव (अका.)

रायपुर, दिनांक : 17 / 11 / 2006

पृ. क्रमांक : 9679 / अका. / 2006
प्रतिलिपि :-

1. विभागाध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला,
 2. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
 3. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय,
 4. अध्यक्ष, विधि अध्ययन बोर्ड,
 5. उपकुलसचिव (परीक्षा) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय)
 6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)